रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 2007/अग्रहायण 5, 1929
No. 515] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 2007/AGRAHAYANA 5, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 730(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) संशोधन आदेश, 2007 है ।
   (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 में—

(क) अनुसूची 2 में,—
   (i) "(भाग 2) 1992" कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, "(भाग 1)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;
   (ii) टिप्पण 1 में, "भाग 2" शब्द और अंक का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुसूची 3 में,—
   (i) खंड (ख) में, "भाग 2" शब्द और अंक का लोप किया जाएगा;
   (ii) खंड (ग) में, "से भिन्न" शब्द का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. पी-17011/04/2007 मार्केटिंग (खंड-II)]
डी. एन. नरसिम्हा राजु, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 487(अ) तारीख 24 मई, 2000 में प्रकाशित किया गया था और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 177(अ) तारीख 8 मार्च, 2002 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2007

G.S.R. 730(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments to the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, namely :—

1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2007.
   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000,—

(a) In Schedule II,—
   (i) for the brackets, word and figures "(Part II) 1992" the brackets, word and figures "(Part I)" shall be substituted ;
   (ii) In Note 1, the word and figures "Part II" shall be omitted;

(b) In Schedule III,—
   (i) in clause (b), the word and figures "Part II" shall be omitted;
   (ii) in clause (c), the words "other than" shall be omitted.

[F. No. P-17011/04/2007-Mkt. (Vol. II)]
D. N. NARASIMHA RAJU, Jt. Secy.

Note.—The principal order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), Extraordinary *vide* number G.S.R. 487(E) dated the 24th May, 2000 and subsequently amended on G.S.R. 177(E) dated the 8th March, 2002.

4773 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.